न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 21/2015

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2015/00074

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 वेरियालसिंह पुत्र रूड़ा 2 गणपतसिंह पुत्र रूड़ा 3 रामसिंह पुत्र रूड़ा 4 तारकंवर बैवा रूड़ा जातियान–राजपुत, निवासी–रघुनाथपुरा, तहसील व जिला सांचौर, (राज0)		1 मगा वल्द भूता, कौम–कलबी, निवासी–रघुनाथपुरा तहसील व जिला–सांचौर 2 व्यवस्थापक एस.बी.आई. शाखा सांचौर 3 भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

<u>राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

तारीख रजु :– 23.12.2015

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह कीलवा उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 25.11.2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का–बावरला में खेत खसरा संख्या 651 रकबा 0.05 हैक्टैयर गैर मुमकिन ढ़ाणी, खसरा संख्या 652 रकबा 5.10 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 5.15 हैक्टेयर के आये हुए है। जिसमें प्रार्थीगण की रहवासीय ढ़ाणी आई हुई है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त के आये हुए है। प्रार्थीगण को उक्त खेत में आने जाने के लिए रास्ते की अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत ग्राम रघुनाथपुरा के खसरा संख्या 663 रकबा 1.52 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से 80*4=320 वर्गमीटर अर्थात् 0.032 हैक्टेयर व खसरा संख्या [illegible] रकबा 1.70 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में से 80*4=320 वर्गमीटर अर्थात् 0.032 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। उक्त रास्ता आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक है जो रास्ता सरवाना से सांचौर जाने वाली पक्की सड़क को जोड़ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

आने जाने व काश्त करने हेतु निकटतम रूठ का सुविधाजनक रास्ता नहीं हैं उक्त रास्ते की भूमि से प्रार्थीगण आवागमन करते है। राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ता दर्ज न होने तथा उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त रास्ते से चलने से मना कर दिया है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता है जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र पेश है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 663 में से 0.032 हैक्टेयर व 666 में से 0.032 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.064 हैक्टेयर जुमले दोनों खसरा नंबरान में से 160 मीटर लम्बाई व *-4 मीटर चौड़ाई रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है, जिसे सलंग्न नक्शे में नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में केसरिया रंग से दर्शाया गया है। उक्त नक्शे को प्रार्थना–पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढ़ा जावें। प्रार्थीगण के उक्त आवेदित स्थान से रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के परिवार वालों के खेतों में एवं रहवासीय ढ़ाणी में आने जाने, काश्त के साधन, उपकरण लाने ले जाने राशन सामग्री लाने इत्यादि कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे रास्ते की सुविधा हेतु अत्यन्त आवश्यकता है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी उपस्थित आया और जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, जो शामिल ही मिशल है। अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 651 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 652 रकबा 5.10 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.15 हैक्टेयर में आने जाने के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 663 रकबा 1.52 हैक्टेयर, खसरा संख्या 666 रकबा 1.70 हैक्टेयर में किसी प्रकार का कोई आवागमन का रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण दबाव बनाकर जबरन जमीन खरीदने का दबाव बनाने के लिए प्रार्थना–पत्र विधि विरूद्व रूप से पेश किया है। मौके पर मेरे उक्त खेत व प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 651 व 652 के मध्य मौके पर कई वर्षो पुरानी बड़ी माठ स्थित है तथा प्रार्थीगण की भूमि ग्राम रघुनाथपुरा के उक्त खेत खसरा संख्या 651 व 652 के लगते ही खसरा संख्या 641 रकबा 5.11 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी भूमि लगती है जहां से प्रार्थीगण गांव में एवं गांव से गुजर रहे मुख्य पक्की सड़क से बाहर जाता है। प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 652 के मध्य से बावरला माईनर नहर गुजरती है। जिसके दोनों तरफ 20–20 फीट का रास्ता मौके पर चालू है जिससे होकर भी प्रार्थीगण आवाजाही करते है। वर्तमान में [illegible]सरा संख्या 651 व 652 में प्रार्थीगण के भव्य भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है [illegible] सामने नहर एवं आबादी के रास्ते प्रार्थीगण के खेत तक जाता है। [illegible] खेत के तीनों तरफ आवागमन हेतु रास्ते मौजूद है फिर भी प्रार्थीगण मेरे खेत में से ज[illegible] रास्ता निकालने पर आमादा है जबकि मौके पर रास्ता किसी प्रकार से मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आने जाने व काश्त करने हेतु निकटतम रूठ का सुविधाजनक रास्ता नहीं हैं उक्त रास्ते की भूमि से प्रार्थीगण आवागमन करते है। राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ता दर्ज न होने तथा उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त रास्ते से चलने से मना कर दिया है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नहीं बैठता है जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र पेश है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 663 में से 0.032 हैक्टेयर व 666 में से 0.032 हैक्टेयर जुमले रकबा 0.064 हैक्टेयर जुमले दोनों खसरा नंबरान में से 160 मीटर लम्बाई व *4 मीटर चौड़ाई रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है, जिसे सलंग्न नक्शे में नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में केसरिया रंग से दर्शाया गया है। उक्त नक्शे को प्रार्थना–पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढ़ा जावें। प्रार्थीगण के उक्त आवेदित स्थान से रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण के परिवार वालों के खेतों में एवं रहवासीय ढ़ाणी में आने जाने, काश्त के साधन, उपकरण लाने ले जाने राशन सामग्री लाने इत्यादि कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे रास्ते की सुविधा हेतु अत्यन्त आवश्यकता है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी उपस्थित आया और जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया, जो शामिल ही मिशल है। अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 651 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा संख्या 652 रकबा 5.10 हैक्टेयर जुमले रकबा 5.15 हैक्टेयर में आने जाने के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 663 रकबा 1.52 हैक्टेयर, खसरा संख्या 666 रकबा 1.70 हैक्टेयर में किसी प्रकार का कोई आवागमन का रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण दबाव बनाकर जबरन जमीन खरीदने का दबाव बनाने के लिए प्रार्थना–पत्र विधि विरूद्व रूप से पेश किया है। मौके पर मेरे उक्त खेत व प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 651 व 652 के मध्य मौके पर कई वर्षों पुरानी बड़ी माठ स्थित है तथा प्रार्थीगण की भूमि ग्राम रघुनाथपुरा के उक्त खेत खसरा संख्या 651 व 652 के लगते ही खसरा संख्या 641 रकबा 5.11 हैक्टेयर गैर मुमकिन आबादी भूमि लगती है जहां से प्रार्थीगण गांव में एवं गांव से गुजर रहे मुख्य पक्की सड़क से बाहर जाता है। प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 652 के मध्य से बावरला माईनर नहर गुजरती है। जिसके दोनों तरफ 20–20 फीट का रास्ता मौके पर चालू है जिससे होकर भी प्रार्थीगण आवाजाही करते है। वर्तमान में [illegible] संख्या 651 व 652 में प्रार्थीगण के भव्य भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है [illegible] नहर एवं आबादी के रास्ते प्रार्थीगण के खेत तक जाता है। प्रार्थीगण के [illegible] खेत के तीनों तरफ आवागमन हेतु रास्ते मौजूद है फिर भी प्रार्थीगण मेरे खेत में से जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है जबकि मौके पर रास्ता किसी प्रकार से मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

651 व 652 ग्राम आबादी रघुनाथपुरा के खसरा संख्या 641 के लगते हुए आई है जहां से प्रार्थीगण गुजरते है। उक्त प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 651 व 652 के मध्य से बावरला माईनर (नर्मदा नहर परियोजना की वितरिका) गुजरती है जिसके दोनों तरफ 20–20 फीट के रास्ते मौके पर खुले हुए है तथा वर्तमान में इनके एवं आगे के अन्य खातेदारों के आने–जाने हेतु रास्ता मौके पर चालू है जबकि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, भूमि आबादी के नजदीक नहीं होनी चाहिए तथा मांगा गया रास्ता उपयुक्त व सुविधाजनक होना चाहिए, परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण के पास अपने खातेदारी में आने जाने हेतु कई रास्ते मौके पर मौजूद है तथा प्रार्थीगण की भूमि ग्राम आबादी के लगती हुई है जहां कई रास्ते मौजूद है अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना–पत्र पूर्णतया मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से एवं मौके की सारभूत स्थिति के विपरित तथ्य प्रकट करने से पूर्णतया आधारहीन, सारहीन व विधि विपरित हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी से रास्ते की मांग हेतु आवेदन दिनांक 23.12.2015 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 651 रकबा 0.05 हैक्टेयर व खसरा संख्या 652 रकबा 5.10 हैक्टेयर में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है उक्त खसरा नंबरान में आवागमन हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 663 रकबा 1.52 हैक्टेयर व खसरा संख्या 666 रकबा 1.70 हैक्टेयर में से 0.064 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः खसरा संख्या में आने जाने हेतु 663 में से 0.032 हैक्टेयर व खसरा संख्या 666 में से 0.032 हैक्टेयर भूमि अर्थात् दोनों खसरा नंबर में से 160 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चौड़ाई रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश फरमावें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 651 व 652 ग्राम आबादी रघुनाथपुरा के खेत खसरा संख्या 641 के लगती हुई है जहां से होकर प्रार्थीगण रास्ते का उपयोग करते है तथा उक्त खसरा नंबरान के मध्य में से बावरला माईनर (नर्मदा नहर परियोजना की वितरिका) गुजरती है। जिसमें से नहर के दोनों तरफ 20–20 फीट के रास्ते मौके पर खुले हुए है तथा मौके पर चालू है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 651 व 652 में अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 663 एवं 66[illegible] आवागमन का रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से दबाव [illegible] की जमीन जबरन खरीदने का दबाव बनाने के लिए हस्तगत प्रार्थना–पत्र विधि [illegible] रूप से पेश किया है। प्रार्थीगण नहरी एवं आबादी रास्ते का इस्तेमाल पीढ़ीयों से व[illegible] आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत के तीनों तरफ आवागमन हेतु रास्ते मौजूद है लेकिन बावजूद इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण अपने खेत के मूल्य में अभिवृद्धि के लिए दबाव बनाकर जबरन रास्ता निकालने पर आमादा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमावें। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय दस्तावेजात् एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251'क' में निम्नलिखित कानूनी प्रावधान है :-

251'क' :- अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या ना मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगें और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है –

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:38 IST
Reason: SelfAttested

(sd/-)

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जाएगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा साथ ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो तथा निकटतम स्थान से मार्ग स्वीकृत किया जावेगा। भू–अभिलेख निरीक्षक सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 06.09.2024 से स्पष्ट है कि वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा इनके खेत से गुजरने वाली बावरला माईनर के खसरा संख्या 1539/652 के लगती पटरी से आवागमन किया जा रहा है। अतिवृष्टि होने पर उक्त नहर के पास वाला रास्ता पानी के भराव से बंद हो जाता है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के खसरा नंबरान से रास्ता चाहा है। वर्तमान में प्रार्थीगण नहर के पास से रास्ते पर आवागमन चालू है। प्रार्थीगण के ढ़ाणी तक पहुंचने हेतु निकटतम रास्ता जो मांगा गया ही है पर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु बावरला माईनर के पास नर्मदा नहर की भूमि खसरा संख्या 1539/652 में से होकर गुजर रहा है, वो है, वर्तमान मौका परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की आत्यांतिक की श्रेणी में रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि पर वर्तमान में बाजरे व मूंगफली की फसल खड़ी है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि केवल सुविधा हेतु दुरूस्थ स्थान से मार्ग स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होकर केवल सुविधा हेतु मार्ग चाहा गया है अतएव प्रार्थीगण की आत्यांतिक आवश्यकता साबित नहीं होने एवं पूर्व से मार्ग की उपलब्धता होने से उक्त राजस्व प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण भली प्रकार साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पूर्व से मार्ग की उपलब्धता, वैकल्पिक मार्ग एवं आत्यांतिक आवश्यकता साबित नहीं होने व सारवान नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:38 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner